फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– **अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 64/ 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2019	(see below)	

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी धनाराम पुत्र गुलाबदास निवासी शोभासर द्वारा केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम ग्राम शोभासर की जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता खंख्या 215 में प्रार्थी का का नाम धनदास पुत्र गुलाबदास जाति स्वामी निवासी शोभासर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो गलत है। मेरा सही नाम धनाराम पुत्र गुलाबदास जाति स्वामी निवासी शोभासर है। अतः नाम दुरूस्त करने का आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का शोभासर भु अभिलेख नि. सालासर वह उप तहसीलदार सालासर ने प्रार्थी का नाम धनदास के स्थान पर धनाराम़ दुरूस्त करने कि अनुशंषा की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक सालासर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थाऩ भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में पुराना खाता संख्या 208 नया खाता संख्या 215 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	शोभासर	**34** **35**	**धनदास पुत्र गुलाबदास**	**धनाराम पुत्र गुलाबदास**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

23/07/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ